HRA AN USIUM The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] No. 567] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2009/चैत्र 12, 1931

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2009/CHAITRA 12, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2009

का.आ. 905(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदंत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना (तीसरा संशोधन), आदेश, 2009 है।
 - (2) यह ७ अप्रैल,२००९ को प्रवृत होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण अथवा मंडारण की बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तुओं अर्थात् खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के लिए इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से 30 सितम्बर,2009 तक की और अविध के लिए प्रास्थगन में खा जाएगा।
- 3. इस आदेश की कोई बात खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चावल के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगी:

परन्तु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

स्पष्टीकरणः यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसके स्टॉकों का भाग आयातों से प्राप्त किया गया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध उपर्युक्त खंड 2 में वर्णित अविध के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

[फा. सं. 10/1/2006-ई सी आर एंड ई] राकेश कक्कड़, अपर सचिव

टिप्पण:—मूल आदेश, भारत के राजपत्र असाधरण, भाग-2, खंड-3, उपखंड(i) में आदेश सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी,2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें आदेश सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून,2003, सं. का.आ. 1373 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, सं का.आ. 297 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, सं. का.आ 1488 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 400 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, सं. का.आ. 823 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 2117 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 2118 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 2247 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 2248 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 2249 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 2009 और का.आ. 880(अ) तारीख 30 मार्च,2009 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOODAND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Consumer Affairs) ORDER

New Delhi, the 2nd April, 2009

s.o. 905(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:-

 (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2009.

- (2) It shall come into force on the seventh day of April, 2009.
- 2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, edible oils, edible oilseeds and rice for a further period upto 30th September, 2009 from the date of commencement of this Order.
- 3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of edible oils, edible oilseeds and rice to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F. No. 10/1/2006-ECR&E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended vide G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O.1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297 (E) dated the 27th February, 2007, S.O. 1488(E) dated the 31st August, 2007, S.O. 400 (E) dated the 28th February, 2008, S.O.823 (E) dated the 7th April, 2008, S.O.2117 (E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E) dated the 27th August, 2008, S.O.2247 (E) dated the 22nd September, 2008, S.O.2248 (E) dated the 22nd September, 2008, S.O.649(E) dated the 9th March, 2009 and S.O. 880 (E) dated the 30th March, 2009.

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2009

का.आ. 906(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (चौथा संशोधन), आदेश, 2009 है।
 - (2) यह 1 मई,2009 को प्रवृत होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अमेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण अथवा मंडारण की बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तुओं अर्थात् दालों और धान के लिए इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से 30 सितम्बर, 2009 तक की और अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।
- 3. इस आदेश की कोई बात दालों और धान के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगी :

परन्तु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

स्पष्टीकरणः यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसके स्टॉकों का भाग आयातों से प्राप्त किया गया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश,2002 के अन्य सभी उपबंध उपर्युक्त खंड 2 में वर्णित अविध के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

> [फा. सं. 10/1/2006-ई सी आर एंड ई] राकेश कक्कड, अपर सचिव

टिप्पण - मूल आदेश, भारत के राजपत्र असाधरण, भाग-2, खंड-3, उपखंड(i) में आदेश सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी,2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें आदेश सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून,2003, सं. का.आ. 1373 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, सं का.आ. 297 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, सं. का.आ 1488 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 400 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, सं. का.आ. 823 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 2117 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 2118 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 2247 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 2248 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 2249 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 880(अ) तारीख 30 मार्च,2009 द्वारा संशोधन किए गए।

ORDER New Delhi, the 2nd April, 2009

s.o.906(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:-

- (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order, 2009.
 - (2) It shall come into force on the first day of May, 2009.
- 2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, pulses and paddy for a further period upto 30th September, 2009 from the date of commencement of this Order.
- 3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of pulses and paddy to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

1303 GI/09-2

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F. No. 10/1/2006-ECR&E] RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended vide G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O.1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297 (E) dated the 27th February, 2007, S.O. 1488(E) dated the 31st August, 2007, S.O. 400 (E) dated the 28th February, 2008, S.O.823 (E) dated the 7th April, 2008, S.O.2117 (E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E) dated the 27th August, 2008, S.O.2247 (E) dated the 22nd September, 2008, S.O.2248 (E) dated the 22nd September, 2008, S.O.649(E) dated the 9th March, 2009 and S.O.880 (E) dated the 30th March, 2009.